Order Sheet [Contd]

Case No. . 464//...920

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

23/9/1

स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में उमयपक्षों द्वारा प्रकरण रखे जाने के अनुरोध से प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित। अमियुक्त सहित अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा उप०। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

आहत केशोबाई सहित अधिवक्ता श्री आ०बी० दौंदेरिया उप०।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 डॉकेट पर राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, सिहत प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री दौंदेरिया एव अमियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री मिश्रा द्वारा की गई।

उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।

अमियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 294, 323 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294 न्यायालय की अनुमित से शमनीय है जबिक शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिमूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार में प्रेषित हो।

> पीठासीन्द्रब्धिकारी () स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत गोहद

gdrastreoft on 210121 41